

# Daily Current Affairs

Date : 15 April, 2026



## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति - 2025
2.	डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती (राज्य स्तरीय समारोह)
3.	राजस्थान में 'शक्ति सदन योजना'
4.	IIT जोधपुर द्वारा विकसित 'बायो-ब्रिक्स और एग्रो-प्लास्टिक ब्लॉक्स'
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. विजयदान देथा साहित्य उत्सव - 2026 2. इण्डियन आर्मी सिम्फनी बैण्ड प्रस्तुति : जयपुर 3. राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम
6.	अंबेडकर जयंती
7.	दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए दीर्घावधि पूर्वानुमान
8.	राष्ट्रीय कृषि बाजार 'e-NAM'
9.	देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शन
10.	परिसीमन और दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताएँ
11.	मतदान का अधिकार
12.	न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग करना
13.	स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) योजना
14.	चीन द्वारा स्थानों के मनगढ़ंत नामकरण

--:1:--



## राजस्थान परिदृश्य



### राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति - 2025



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा 'राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी - 2025' के तहत आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई।



सत्यमेव जयते

Government of Rajasthan

# RAJASTHAN TRADE PROMOTION POLICY 2025



मुख्य बिन्दु:

- शुरुआत : 7 दिसम्बर, 2025 से राज्यभर में लागू।
- संबंधित विभाग : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान।
- नीति का उद्देश्य : सूक्ष्म व्यापार उद्यमों सहित छोटे व्यापारियों को रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करना तथा बेहतर बाजार पहुँच सुनिश्चित करना।
- लक्ष्य : राज्य में व्यापार क्षेत्र में नए निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना।

--2--

# Daily Current Affairs

Date : 15 April, 2026



## नीति के प्रमुख प्रावधान:

श्रेणी	प्रावधान
ब्याज अनुदान	₹1 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान। ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
क्रेडिट गारंटी सहायता	क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के अंतर्गत नवीन सूक्ष्म उद्यमों को ₹5 करोड़ तक के ऋण कवरेज पर देय गारंटी शुल्क की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति पाँच वर्षों के लिए।
बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति	सूक्ष्म श्रेणी के खुदरा व्यापारियों के लिए, प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत (₹1 लाख तक) प्रतिपूर्ति पाँच वर्षों के लिए।
ई-कॉमर्स प्रोत्साहन	सूक्ष्म व्यापार उद्यमों को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹50,000 तक की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क (शिपिंग शुल्क को छोड़कर) की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
विशेष श्रेणियों हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन	महिलाओं, SC/ST और बेंचमार्क दिव्यांगों के स्वामित्व वाले व्यापार उद्यमों को ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान।

--:3:--

# Daily Current Affairs

Date : 15 April, 2026



## फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

### राजस्थान सरकार की निर्यात प्रोत्साहन संबंधी प्रमुख नीतियाँ:

- राजस्थान इंडस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी, 2019
- राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, 2022
- राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, 2024
- राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, 2025
- RIICO डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी, 2025
- राजस्थान टैक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी, 2025
- राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS), 2024

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

--:4:--

## डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती (राज्य स्तरीय समारोह)

### चर्चा में क्यों?

- डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल, 2026 को जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।

14 अप्रैल, 2026



राजस्थान संवाद

भारतीय संविधान निर्माता और भारत रत्न  
बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर शत-शत नमन

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

### मुख्य बिन्दु:

- आयोजन स्थल : भवानी निकेतन परिसर, जयपुर।
- समझौता ज्ञापन (MoU) : राजस्थान की अंबेडकर पीठ (मूंडला, जयपुर) और महाराष्ट्र के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (BARTI), पुणे के बीच अनुसंधान, प्रशिक्षण और सामाजिक न्याय की दिशा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया।
- 'समाधान साथी' हेल्प डेस्क : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु AI-आधारित हेल्प डेस्क।
- 200 अंबेडकर ई-लाइब्रेरी : नगरीय क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 200 ई-लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा।

--:5:--

# Daily Current Affairs

Date : 15 April, 2026



- **अंबेडकर आवासीय कोचिंग केन्द्र** : मूडला (जयपुर) स्थित अंबेडकर पीठ में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय कोचिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा।

**वर्ष 2026 के पुरस्कार :**

प्राप्तकर्ता	पुरस्कार का नाम	विषय
दिनेश कुमार पँवार (पाली)	अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान और उत्कृष्ट सामाजिक सेवा एवं योगदान के लिए।
इंदिरा जींगर (ब्यावर)	अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार	अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए।
महेंद्र कुमार चौहान (जयपुर)	अंबेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार	अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए।
चंचल (डीग), जयदीप राज डामोर (बांसवाड़ा), हिमांशु बागड़ी (बूँदी), दिव्या मीणा (कोटपुतली - बहरोड) निधि धानका (जयपुर), तनिशा डीगवाल (जयपुर), साक्षी मीणा (झुंझुनू), उर्मिला (जोधपुर)	अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रथम स्थान आने वाले मेधावी विद्यार्थियों को।

**अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:**

- **रन फॉर इक्वेलिटी** : जयपुर में 'रन फॉर इक्वेलिटी' मैराथन के सातवें संस्करण का आयोजन डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया।
- **मैराथन की मुख्य थीम** : 'साइबरथॉन' (Cyberthon)।

--6--

## राजस्थान में 'शक्ति सदन योजना'

### चर्चा में क्यों?

- मार्च, 2026 तक राजस्थान में 'शक्ति सदन योजना' के अंतर्गत 52 सखी केन्द्रों में 19,766 प्रकरणों में पीड़ित महिलाओं को आवश्यक सहायता व परामर्श प्रदान किया जा चुका है।



### मुख्य बिन्दु:

- शक्ति सदन योजना संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास पहल है। यह केंद्र सरकार के 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत 'स्वाधार गृह' और 'उज्ज्वला' योजनाओं को एकीकृत कर शुरू की गई है। वर्तमान में देश भर में 419 शक्ति सदन सक्रिय हैं।

# Daily Current Affairs

Date : 15 April, 2026



- **शुरुआत** : 1 अप्रैल, 2022 को।
- **संबंधित मंत्रालय** : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- **प्रकार** : यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है।
- **181 महिला हेल्पलाइन** : राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और सहायता देने के उद्देश्य से 24x7 महिला हेल्पलाइन सेवा (181) की स्थापना की गई है।
- **'सामर्थ्य' उप-योजना** : मिशन शक्ति के तहत 'सामर्थ्य' उप-योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर महिला सशक्तीकरण हब और जिले स्तर पर महिला सशक्तीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस हब का संचालन केंद्र और राज्य के 60:40 बजट अनुपात में किया जा रहा है।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

--8--

## IIT जोधपुर द्वारा विकसित 'बायो-ब्रिक्स और एग्रो-प्लास्टिक ब्लॉक्स'

### चर्चा में क्यों?

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कृषि अवशेष (पराली) और प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके टिकाऊ, पेटेंटेड 'बायो-ब्रिक्स' और 'एग्रो-प्लास्टिक ब्लॉक्स' विकसित किए हैं।



### मुख्य बिन्दु:

- ये सामग्रियाँ कार्बन-नेगेटिव हैं और निर्माण क्षेत्र में प्रदूषण व अपशिष्ट को कम करने का एक किफायती समाधान हैं। साथ ही, यह पहल चक्रीय (सर्कुलर) और जलवायु-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बड़ा कदम है।

## पेटेंट बायो-ब्रिक्स :

- इस तकनीक का मुख्य आधार एक पेटेंट प्रक्रिया है, जिसमें धान का पुआल, गेहूँ का भूसा और गन्ने का बगास जैसे कृषि अवशेषों को कम ऊर्जा वाली चूना-आधारित प्रक्रिया से मजबूत निर्माण ईंटों में बदला जाता है।
- पारंपरिक पकी हुई ईंटों के विपरीत, बायो-ब्रिक्स ऊर्जा की कम खपत के साथ बनाए जाते हैं और इनमें भट्टी (किल्न) में पकाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है।
- ये ईंटें कार्बन-नेगेटिव होती हैं तथा रीसायक्लिंग क्षमता से भी युक्त होती है।

## एग्रो-प्लास्टिक ब्लॉक्स (APBs) :

- मिश्रित प्लास्टिक कचरे और कृषि अवशेषों को मिलाकर एक टिकाऊ निर्माण सामग्री एग्रो-प्लास्टिक ब्लॉक्स (APBs) को तैयार किया गया है।
- कम ऊर्जा वाली थर्मल फ्यूजन और कंप्रेशन प्रक्रिया के जरिए यह तकनीक अलग-अलग प्रकार के प्लास्टिक कचरे को बिना जटिल रीसाइक्लिंग प्रक्रियाओं के सीधे उपयोग में लाती है।
- इनका उत्पादन मॉडल विकेन्द्रीकृत (डिसेंट्रलाइज्ड) और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, जिससे इन्हें देश के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर अपर्याप्त रीसाइक्लिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है।

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡


क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>विजयदान देथा साहित्य उत्सव - 2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>आयोजक</b> : राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 17 से 19 मार्च, 2026 तक उदयपुर में 'विजयदान देथा साहित्य उत्सव-2026' का आयोजन किया गया।</li><li>■ <b>साहित्य अकादमी पुरस्कार - 2025 (राजस्थानी)</b> : जितेंद्र कुमार सोनी को उनके कहानी संग्रह 'भरखमा' के लिए।</li><li>■ राजस्थान साहित्य अकादमी मासिक साहित्यिक पत्रिका 'मधुमती' का प्रकाशन करती है, जो हिंदी और राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देती है।</li><li>■ <b>नोट</b> : उदयपुर स्थित राजस्थान साहित्य अकादमी ने 5 फरवरी, 2026 को अपना 68वाँ स्थापना दिवस मनाया, जिसका मुख्य विषय "साहित्य और अकादमी के समक्ष चुनौतियाँ" था।</li></ul>
2.	<p><b>इण्डियन आर्मी सिम्फनी बैण्ड प्रस्तुति : जयपुर</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ हाल ही में, जवाहर कला केंद्र (JKK), जयपुर में 'इण्डियन आर्मी सिम्फनी बैण्ड प्रस्तुति' का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।</li><li>■ <b>आयोजक</b> : मुख्यालय दक्षिण-पश्चिमी कमान द्वारा 22वें स्थापना दिवस (Rising Day) के अवसर पर।</li></ul>
3.	<p><b>राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 2024-25 के बजट में छात्रों के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया।</li><li>■ इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कॉलेजों के छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है।</li><li>■ यह कार्यक्रम मुख्य रूप से सरकारी कॉलेजों के स्नातक (Graduation) और स्नातकोत्तर (Post-graduation) के अंतिम वर्ष के छात्रों और हाल ही में पास आउट हुए छात्रों के लिए है।</li></ul>

## इतिहास एवं संस्कृति

### अंबेडकर जयंती

#### चर्चा में क्यों?

- 14 अप्रैल को भारत अंबेडकर जयंती मनाता है, जो डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती का प्रतीक है।



#### मुख्य बिन्दु:

डॉ. भीम राव अंबेडकर

- प्रारंभिक जीवन:** बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था।

--:12:--

- वह दलित (अनुसूचित जाति) परिवार से थे और उन्हें गंभीर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा।

## प्रमुख योगदान:

- **संविधान निर्माण में:** उन्हें संविधान का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने मौलिक अधिकारों, कानून के समक्ष समानता और अस्पृश्यता के उन्मूलन (अनुच्छेद 17) को शामिल करना सुनिश्चित किया।
- उनकी दूरदृष्टि ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच नियंत्रण और संतुलन के साथ एक लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित किया।
- उन्होंने अनुच्छेद 32 में निहित 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' को भारतीय संविधान का 'हृदय और आत्मा' माना।
- **सामाजिक:** उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलनों का नेतृत्व किया और दलित अधिकारों, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की वकालत की।
- उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा (बहिष्कृत लोगों के कल्याण के लिए सोसाइटी) की स्थापना की और 1927 में महाड सत्याग्रह, नासिक में कालाराम सत्याग्रह (1930) जैसे सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया।
- **राजनीतिक:** वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी (1936) जैसे राजनीतिक संगठनों की भी स्थापना की।
- उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण/सकारात्मक कार्रवाई की वकालत की।
- आठ घंटे के कार्यदिवस, मातृत्व लाभ आदि जैसे श्रम अधिकारों को बढ़ावा दिया।
- उन्होंने हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार सहित महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया।

# Daily Current Affairs

Date : 15 April, 2026



- **प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ:** जाति का विनाश, रुपी की समस्या, शूद्र कौन थे?, मूकनायक (पार्श्वीय समाचार पत्र, 1920 में) और बहिस्कृत भारत (समाचार पत्र, 1927)।
- **बौद्ध धर्म में धर्मांतरण:** 1956 में, उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया।
- डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित "जागती बौद्ध परिषद" में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा "बोधिसत्व" की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
- उन्हें "भारतीय संविधान का जनक" कहा जाता है।
- उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया (मरणोपरांत 1990 में)।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

--:14:--


## भूगोल एवं भू-विज्ञान

### दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए दीर्घावधि पूर्वानुमान

#### चर्चा में क्यों?

- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन के लिए दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया है।

Tercle probability rainfall forecast for 2026 southwest monsoon season



## मुख्य बिन्दु:


- वर्ष 2026 में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है। यह 1971-2020 की अवधि के 87 सेमी के दीर्घावधि औसत का केवल 92% रहने का अनुमान है।
- दीर्घावधि औसत एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि (जैसे महीना या सीजन) के दौरान वर्षा का लंबे समय (जैसे 30 साल, 50 साल आदि) का औसत होता है।
- यह पूर्वानुमान अल नीनो स्थितियों के विकसित होने का संकेत देता है।
- एल नीनो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के गर्म होने या औसत से अधिक समुद्री सतह तापमान को संदर्भित करता है।
- मानसून सीजन के अंत में धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (Positive Indian Ocean Dipole: IOD) स्थितियों की संभावना है।
- धनात्मक IOD का अर्थ है कि पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री सतह का तापमान औसत से अधिक होगा। यह स्थिति आमतौर पर मानसून को बढ़ावा देती है।

## आर्थिक घटनाक्रम

### राष्ट्रीय कृषि बाजार 'e-NAM'

#### चर्चा में क्यों?

- कृषि व्यापार में रूपांतरण के लिए प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय कृषि बाजार 'e-NAM' ने 10 वर्ष पूरे किए। राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) को अप्रैल, 2016 में शुरू किया गया था।



#### मुख्य बिन्दु:

- यह एक अखिल-भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि-व्यापार प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य मौजूदा मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़कर कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना है।
- इसने कृषि उपज मंडी समिति (APMC) की मंडियों की कमियों को दूर किया और अलग-अलग राज्यों के बाजारों को जोड़कर इनकी पहुंच का विस्तार किया।

## e-NAM की प्रमुख विशेषताएँ

- **एक राष्ट्र, एक बाजार:** इसमें एक बहु-स्तरीय संरचना शामिल है। इनमें वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन, AI-आधारित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली आदि शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन:** लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। यह एजेंसी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है।
- **इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (e-NWR) से एकीकरण:** किसान, व्यापारी और किसान उत्पादक संगठन (FPOs) अपनी उपज को 'भारतीय वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण' (WDRA) से मान्यता प्राप्त गोदामों में रख सकते हैं। वहां से e-NWR प्राप्त करके e-NAM प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज को सीधे बेच सकते हैं।
- **अन्य सुविधाएँ:** अंतरराज्यीय व्यापार की सुविधा, उत्पाद की कीमत को लाइव दर्शाने वाला डैशबोर्ड, 12 भाषाओं में इंटरफेस, सिंगल विंडो सेवा, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म (PoP) आदि।

## e-NAM की प्रमुख उपलब्धियां

- **नेटवर्क का विस्तार:** e-NAM के साथ एकीकृत मंडियों की संख्या 1,389 (2024) से बढ़कर 1,656 (मार्च 2026) हो गई।
- **कृषि व्यापार में वृद्धि:** 2016 से मार्च 2026 तक 13.25 करोड़ मीट्रिक टन वस्तुओं का व्यापार हुआ, जिससे ₹4.84 लाख करोड़ का कुल व्यापार मूल्य उत्पन्न हुआ।
- **व्यापक पहुंच:** e-NAM के यहां 1.80 करोड़ से अधिक किसान, 2.73 लाख व्यापारी और 4,724 किसान उत्पादक संगठन (FPOs) पंजीकृत हैं।

## देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शन

### चर्चा में क्यों?

- बरौनी (बिहार), सूरत (गुजरात), मानेसर (हरियाणा) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में श्रमिकों के हाल के विरोध प्रदर्शनों ने चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं।



### मुख्य बिन्दु:

- श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में पूर्वव्यापी प्रभाव से वृद्धि कर दी है।

### श्रमिकों के बढ़ते विरोध-प्रदर्शन के मुख्य कारण

- **हालिया ऊर्जा संकट:** ईंधन की कमी या इनके मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रवासी कामगारों के लिए जीवनयापन लागत बढ़ गई है।
- **श्रम कानूनों से संबंधित चिंताएँ:** मजदूरी संहिता, राष्ट्रीय न्यूनतम आधार मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करती है, लेकिन इन्हें तय करने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं बताती।

- **अनौपचारिक क्षेत्रक:** भारत के 80% से अधिक कामगार अनौपचारिक क्षेत्रक में कार्य करते हैं। इनमें से अधिकांश को श्रम संहिताओं द्वारा प्राप्त सुरक्षा प्रावधानों का लाभ नहीं मिलता है।
- **सुविधाओं की मांग:** आवास, कार्यस्थल पर सुरक्षा, पर्याप्त वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, नियमित बोनस आदि मांगों का पूरा न कर पाने के कारण भी श्रमिकों में असंतोष है।
- **ट्रेड यूनियनों के साथ मुद्दे:** एक ही उद्योग में कई ट्रेड यूनियन होने से आपसी टकराव उत्पन्न होता है। कुछ श्रमिक संघ राजनीतिक प्रभाव में होते हैं और वे मजदूरों के हितों पर पूरा ध्यान नहीं देते।

## किए गए प्रमुख सुधार

- **सामाजिक सुरक्षा:** सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) के दायरे में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को शामिल किया गया है। ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियों को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1-2% गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण कोष में अंशदान देना होगा, लेकिन यह राशि इन कामगारों को किए गए कुल भुगतान के 5% से अधिक नहीं होगी।

## नियोजन की शर्तें:

- औद्योगिक संबंध संहिता (2020) निश्चित अवधि के रोजगार का प्रावधान करती है ताकि अधिक अनुबंध आधारित रोजगार को कम किया जा सके।
- साथ ही, किसी उद्योग के 51% श्रमिकों की सदस्यता वाले ट्रेड यूनियनों को श्रमिकों की ओर से वार्ता करने वाले श्रम संघ के रूप में मान्यता दी गई है।
- **कामगारों के अधिकार और सुरक्षित कार्य दशाएँ:** उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस प्रदान करती है। रोजगार की प्रकृति की वजह से हुई दुर्घटना या मृत्यु के मामले में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने के प्रावधान करती है।

## अन्य सुधार:

- **शी-बॉक्स (She-Box):** कार्यस्थल पर महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए
- **ई-श्रम पोर्टल:** असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण और सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

## भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

### परिसीमन और दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताएँ

#### चर्चा में क्यों?

- दक्षिण भारत के राज्यों ने परिसीमन को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि परिसीमन से संसद में उनका प्रतिनिधित्व असमान रूप से प्रभावित हो सकता है, अर्थात् उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।



#### मुख्य बिन्दु:

#### परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ

- जनसंख्या नियंत्रण का विरोधाभास:** जनसंख्या पर आधारित परिसीमन दक्षिणी राज्यों की सीटों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम कर सकता है। इससे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव घट सकता है। यह उन राज्यों को "दंडित" करने जैसा होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है।

--:21:--

- **संघवाद और क्षेत्रीय स्वायत्तता:** प्रतिनिधित्व में व्यापक बदलाव से संघवाद कमजोर हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय नीतियाँ उत्तरी राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार अधिक बन सकती हैं।

## परिसीमन क्या है?

- यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं।

## संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 82 और 170:** ये अनुच्छेद संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित प्राधिकार द्वारा और निर्धारित रीति से प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों) का पुनर्समायोजन करने और सीमाओं में बदलाव करने का प्रावधान करते हैं।
- **अनुच्छेद 330 और 332:** लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः निर्धारित करने का प्रावधान करते हैं।

## परिसीमन आयोग:

- संसद द्वारा अधिनियमित परिसीमन अधिनियम के आधार पर गठित यह आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है।
- अब तक 1952, 1962, 1972 और 2002 के परिसीमन आयोग अधिनियमों के तहत 4 बार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है।

## मतदान का अधिकार

### चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, जन्म वाले देश में मतदाता सूची में नाम बनाए रखने और मतदान करने का अधिकार, न केवल संवैधानिक है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है।



### मुख्य बिन्दु:

#### मतदान के अधिकार के बारे में:

- भारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है।
- प्रमुख संवैधानिक प्रावधान:
  - अनुच्छेद 325: कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं होगा।
  - अनुच्छेद 326: लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के तहत संबंधित धाराएँ:
  - धारा 62 (RPA 1951): यह मतदान के अधिकार से संबंधित है।
  - धारा 16 (RPA 1950): यह मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यताओं का निर्धारण करती है।

## न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग करना

### चर्चा में क्यों?

- दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से सुनवाई से स्वयं को अलग करने का अनुरोध किया है।



### मुख्य बिन्दु:

न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को मामले से अलग करने (Recusal) के बारे में:

- अर्थ:** इसका तात्पर्य हितों के संभावित टकराव या कथित पूर्वाग्रह के कारण न्यायाधीश का किसी मामले की सुनवाई से हट जाना है।
- उद्देश्य:** इसका लक्ष्य निष्पक्ष प्रक्रिया, न्याय प्रशासन में लोक विश्वास और न्यायिक तटस्थता को बढ़ावा देना है।
- अंतर्निहित सिद्धांत:** यह 'पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम' पर आधारित है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए जिसमें उसका स्वार्थ निहित हो।
- विनियमन:** भारत में इसे विनियमित करने वाले कोई संहिताबद्ध नियम नहीं हैं।
- पूर्व के उदाहरण:** रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) और चंद्रप्रभा बनाम भारत संघ (2025) जैसे मामलों की सुनवाई में न्यायाधीशों द्वारा खुद को अलग करना।

--:24:--

## योजनाएँ एवं नीतियाँ

### स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) योजना

#### चर्चा में क्यों?

- स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) योजना अधिसूचित की गई। फंड ऑफ फंड्स 2.0 वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के तहत शुरू की गई स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स 1.0 (FFS 1.0) योजना पर आधारित है।



#### मुख्य बिन्दु:

- यह विभिन्न चरणों और क्षेत्रकों के स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल (VC) प्राप्त करना सक्षम बनाता है। वेंचर कैपिटल (VC) शुरुआती चरण का इक्विटी वित्तपोषण है, जो उच्च विकास की क्षमता वाले स्टार्टअप्स को सक्रिय मार्गदर्शन के साथ प्रदान किया जाता है।

## स्टार्टअप्स इंडिया FoF 2.0 योजना की मुख्य विशेषताएँ

- **कुल कोष:** ₹10,000 करोड़
- **मंत्रालय:** केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- **पात्रता:** 16वें और 17वें वित्त आयोग की अवधियों से संबंधित वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)।
- **वैकल्पिक निवेश कोष** ऐसे निजी निवेश कोष हैं जो समझदार और बड़े निवेशकों (भारतीय या विदेशी) से धन जुटाते हैं और उस धन को तय की गई निवेश नीति के अनुसार अलग-अलग जगहों पर निवेश करते हैं।
- **संरचना:** यह योजना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में पंजीकृत AIFs के फंड में योगदान देगी, ताकि वे स्टार्टअप्स के इक्विटी और उनसे जुड़े निवेश साधनों में पैसा लगा सकें।
- **योजना के लिए AIFs की चयन प्रक्रिया:** स्टार्टअप प्रणाली के अनुभवी सदस्यों से बनी वेंचर कैपिटल निवेश समिति द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी।
- **निगरानी और शासन:** एक अधिकार प्राप्त समिति (EC) द्वारा, जिसकी अध्यक्षता उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के सचिव करेंगे।
- **कार्यान्वयन:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)। SIDBI स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स 1.0 की कार्यान्वयन एजेंसी भी है।
- इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन के लिए अन्य घरेलू कार्यान्वयन एजेंसी/एजेंसियों का भी चयन किया जाएगा।



## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



### चीन द्वारा स्थानों के मनगढ़ंत नामकरण



#### चर्चा में क्यों?

- भारत ने चीन द्वारा अपने भूभाग का हिस्सा माने जाने वाले स्थानों को "काल्पनिक नाम" देने के प्रयासों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है और ऐसे कार्यों को "शरारती" तथा द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक बताया है।



#### मुख्य बिन्दु:

#### चीन की कार्रवाइयाँ

- चीन अरुणाचल प्रदेश को "दक्षिणी तिब्बत" (ज़ांगनान) होने का दावा करता है और 2017 से उसने कई बार स्थानों के नाम बदलकर सूचियां जारी की हैं, जिन्हें भारत लगातार अमान्य बताकर खारिज करता रहा है।

- चीन लद्दाख के उन क्षेत्रों में हेआन और हेकांग काउंटी जैसी प्रशासनिक इकाइयां बना रहा है, जिनमें अक्साई चिन के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, जो एक लंबे समय से सीमा विवाद वाला क्षेत्र है।
- खबरों के मुताबिक, चीन ने सेनलिंग नाम से एक नया काउंटी भी बनाया है।

## सेनलिंग

- यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर के निकटवर्ती क्षेत्र में पड़ता है।

## हेआन

- इसमें अक्साई चिन पठार के कुछ हिस्से शामिल थे, जो भारत-चीन सीमा विवाद के कारण लंबे समय से चर्चा में रहे हैं।

## भारत की प्रतिक्रिया

- विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश और अन्य विवादित क्षेत्रों जैसे क्षेत्र भारत के "अभिन्न और अविभाज्य" अंग हैं।
- भारत इन कदमों को सीमा तनाव और रणनीतिक चिंताओं के व्यापक संदर्भ में देखता है, जिसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी शामिल है, जिसका भारत पीओके पर संप्रभुता के मुद्दों के कारण विरोध करता है।

## वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी)

- एलएसी वह सीमांकन रेखा है जो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र को चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र से अलग करती है।
- भारत एलएसी की लंबाई 3,488 किलोमीटर मानता है, जबकि चीन इसे केवल लगभग 2,000 किलोमीटर मानता है।
- इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला हुआ है, मध्य क्षेत्र जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी क्षेत्र जो लद्दाख में है।